

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1434 / 2012 / झुञ्जुनु.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, झुञ्जुनु.

....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड,  
खेतड़ी, झुञ्जुनु.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री विवेक सिंघल

अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 23.02.2018

निर्णय


1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपील संख्या 331/आरवैट/झुञ्जुनु/10-11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 23.01.2012 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, झुञ्जुनु (जिसे आगे 'सक्षम अधिकारी' कहा जायेगा) के वैट अधिनियम की धारा 25 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 31.03.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 17.08.2007 को व्यवसायी कम्पनी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण में यह आक्षेप किया गया कि इकाई द्वारा 20 प्रतिशत एवं 12.5 प्रतिशत करयोग्य माल की बिक्री क्रमशः 12.5 प्रतिशत व 4 प्रतिशत की दर से करते हुये कर का अपवंचन किया जा रहा है। अतः व्यवसायी कम्पनी के विरुद्ध अभियोग बनाया जाकर प्रथम एवं द्वितीय तिमाही का सामयिक कर निर्धारण आदेश दिनांक क्रमशः 05.09.2007 एवं 17.09.2007 को पारित किया गया, जिसे उक्त अन्तिम कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.03.2010 में सम्मिलित करते हुये सम्पूर्ण वर्ष का कर निर्धारण करने हेतु कम्पनी को विस्तृत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस के जवाब में कम्पनी द्वारा अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया एवं बेचे गये माल से संबंधित संशोधित सूची प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत सूची के अनुसार माल पर देय बिक्रीकर का आकलन करते हुये दिनांक 31.03.2010 को आदेश पारित कर अतिरिक्त कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित बिन्दुओं पर निम्न निर्णय दिया गया है :-

31

लगातार.....2

- \* कर निर्धारण अधिकारी द्वारा **Burnt Oil** की बिक्री पर 20 प्रतिशत की कर दर मानते हुये जो करारोपण रुपये 15,061/- किया गया था, उसे इस आधार पर अपास्त किया गया कि **Burnt Oil** पर अनुसूची 4 के पार्ट बी के क्रम सं. 244 पर कर दर 4 प्रतिशत अधिसूचित की हुई है।
- \* कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण एवं जांच के पश्चात अलग-अलग वस्तुओं पर कम दर से कर जमा कराया जाना मानते हुये अंतर कर आरोपित किया गया था, उस संबंध में प्रत्यर्थी की यह दलील मानी गई कि उन्हें बिना कोई आधार बताये एवं किन-किन वस्तुओं पर अंतर कर आरोपण किया गया है, बताये बिना जो कर आरोपित किया गया था, वह अनुचित मानते हुये प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है, जिसमें यह निर्देश दिये गये है कि व्यवसायी को उन कारणों का उल्लेख कर नोटिस जारी करें, जिसके आधार पर उन पर अतिरिक्त करारोपण किया जाना है।
- \* कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त अवधि का आदेश पूर्व में दिनांक 05.09.2007 को पारित किया गया था, जिसमें अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति आरोपित की गई थी, जिसके विरुद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 29.01.2009 पारित किया जाकर शास्ति को अपास्त कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में उसी प्रकरण में पुनः अंतिम कर निर्धारण आदेश में शास्ति का आरोपण किया जाना अविधिक होने से आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया गया है।
- 3. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने सक्षम अधिकारी के आदेश का समर्थन किया तथा अपीलीय आदेश अपास्त करने का निवेदन किया।
- 4. व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिना किसी कारण ही अपील प्रस्तुत की है जो प्रस्तुत अपील में दिये गये आधारों से स्पष्ट प्रतीत होती है, क्योंकि अपील प्रस्तुत करते समय अपीलीय आदेश में त्रुटि होने का कोई आधार नहीं दिया गया है।
- 5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।
- 6. विभाग द्वारा जो अपील प्रस्तुत की गई है उसमें अपीलीय आदेश के अविधिक होने का उल्लेख किया है परन्तु अविधिक होने का कोई कारण नहीं बताया गया है हमारे द्वारा अपीलीय आदेश एवं कर निर्धारण आदेश के परीक्षण पर यह पाया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश में वस्तुओं का विशिष्ट उल्लेख किये बिना ही अंतर कर आरोपित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा समुचित अवसर देते हुये स्पष्ट आदेश पारित करने के निर्देश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अतः इस बिन्दु पर अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की जाती है।

3/



लगातार.....3

7. पत्रावली के अवलोकन पर प्रतीत होता है कि प्रतिप्रेषित आदेश का निस्तारण अपीलीय आदेश से 2 वर्ष के भीतर अर्थात् दिनांक 23.01.2014 तक कर दिया जाना चाहिये था एवं यह माना जाता है कि कर निर्धारण अधिकारी ने उचित आदेश पारित कर दिया होगा जिससे कि वह समयावधि पार न हों, हालांकि इस तथ्य की पुष्टि सुनवाई के दौरान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा नहीं करवाई जा सकी।


अपील आधारों में **Burnt Oil** पर 4 प्रतिशत की कर दर निर्णीत किया जाना अविधिक बताया गया है, जबकि अपीलीय आदेश में यह विशिष्ट तौर से उल्लेखित है कि **Burnt Oil** पर अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या 244 में 4 प्रतिशत की कर दर अधिसूचित है। इस तरह कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना विधिक आधारों के ही इस बिन्दु को विवादित किया गया है। अतः इस संबंध में अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

8. उक्त प्रकरण जो वर्ष 2007-08 की अवधि से संबंधित है, के त्रैमासिक अस्थाई कर निर्धारण आदेश पारित किये गये थे, जिनके विरुद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 में आरोपित शास्ति को आदेश दिनांक 29.01.2009 द्वारा अपास्त किया जा चुका था, उसी शास्ति को पुनः वार्षिक कर निर्धारण आदेश में आरोपित किया जाना विधिविरुद्ध था। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा इस शास्ति को अपास्त किये जाने में कोई भूल नहीं की गई है। अतः अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है एवं अपीलार्थी राजस्व की अपील खारिज की जाती है।
9. उपरोक्तानुसार अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।



( ओमकार सिंह आशिया )  
सदस्य



( के. एल. जैन )  
सदस्य